अध्याय 6

'ई-कल्याण' पोर्टल का आईटी लेखापरीक्षा

अध्याय 6
'ई-कल्याण' पोर्टल का आईटी लेखापरीक्षा

झारखण्ड सरकार (कल्याण विभाग) ने पोस्ट मैट्रिक उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदनों को संसाधित करने और प्री और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के भुगतान के लिए एक ऑनलाइन छात्रवृत्ति पोर्टल **'ई-कल्याण'** शुरू किया (जनवरी 2015)। इस अध्याय में लेखापरीक्षा ने योजना प्रबंधन में उपयोग किए जाने वाले आईटी एप्लिकेशन/सॉफ्टवेयर की पर्याप्तता और प्रभावशीलता और निधि हस्तांतरण प्लेटफॉर्म (पी.एफ.एम.एस. या अन्य एप्लिकेशन) के हिस्से के रूप आईटी और गैर-आईटी नियंत्रणों के लिए लाभार्थी से संबंधित डी-डुप्लीकेशन, बैंक खाता सत्यापन, लाभार्थी के बैंक खातों में भुगतान का हस्तांतरण और विफल लेनदेन/त्रुटियों का समाधान और प्रबंधन का पता लगाया। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अवलोकन निम्न हैं:

- लेखापरीक्षा उदाहरण जैसे आधार संख्या को बिना मिलान किये गैर-आवेदकों को भुगतान, लाभार्थियों के मोबाइल नंबरों का संग्रहण न करना, लाभार्थियों को छात्रवृत्ति का अनियमित भुगतान**,** लाभार्थियों को छात्रवृत्ति का अधिक भुगतान, पिछड़े वर्ग के अपात्र लाभार्थियों को छात्रवृत्ति का भुगतान, कम प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले लाभार्थियों को छात्रवृत्ति का भुगतान, प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत अपात्र लाभार्थियों को छात्रवृत्ति का भुगतान, फर्जी लाभार्थियों को छात्रवृत्ति का वितरण, एक ही आधार संख्या के माध्यम से कई लाभार्थियों को छात्रवृत्ति भुगतान जो सामान्य नियंत्रण, आवेदन नियंत्रण**,** प्रक्रिया नियंत्रण और भुगतान विधि नियंत्रण के संबंध में 'ई-कल्याण' पोर्टल की विफलताओं का संकेत था।
- ई-कल्याण संस्करण **2.0 (**ई-पास) शुरू होने के बाद केवल एक बार (जनवरी 2015) सभी विभागीय अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण आयोजित किया गया था और एप्लिकेशन सॉफ़्टवेयर में कई बदलावों के बावजूद कल्याण विभाग या एजेंसी द्वारा आगे कोई प्रशिक्षण आयोजित नहीं किया गया था।
- पीएमयू की सेवाएँ 1 नवंबर 2017 से अपर्याप्त निधि के कारण बंद कर दी गई थीं जिससे परियोजना की निगरानी और मूल्यांकन में बाधा उत्पन्न हुई थी।

निष्कर्ष:

भारत सरकार की आरआरआर परियोजना के तहत राज्य में *ई-कल्याण* एप्लिकेशन, एसआरएस को अंतिम रूप दिए बिना और अविकसित मॉड्यूल के साथ लाइव (जनवरी 2015) हो गया था। परियोजना की शुरूआत के समय परिकल्पित एप्लिकेशन में विशेषताएं अभी तक वितरित की जानी थीं (मई 2022)। एप्लिकेशन आधार ई-केवाईसी के साथ एकीकृत नहीं था और कोषागार/बैंक से भी जुड़ा नहीं था। राष्ट्रीय ई-छात्रवृत्ति पोर्टल (एनईएसपी) में आवेदन का स्थानांतरण पूरा नहीं हुआ था (मई 2022)। विभागीय संकल्प (अगस्त 2019) में निर्धारित जे.ए.प.-आई.टी.

द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था का विकास न करने के कारण विस्तारित परियोजना अवधि (मार्च 2018) के पूरा होने के बाद भी कार्यान्वयन एजेंसी अपनी सेवाएँ देना जारी रखे हुए है। दिशा-निर्देशों में निर्धारित ई-कल्याण पोर्टल पर आवेदनों के सत्यापन के लिए संस्थान स्तर के उपयोगकर्ताओं को पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं दिया गया था। कल्याण विभाग द्वारा उपयोग की जाने वाली पासवर्ड नीति मजबूत नहीं थी क्योंकि पासवर्ड का पूर्व-निर्धारित प्रारूप, पासवर्ड की मास्किंग और लॉगिन पासवर्ड का आवधिक परिवर्तन अनुपस्थित थे। एप्लीकेशन में इनपुट और सत्यापन नियंत्रण की कमी के कारण ई-कल्याण डेटाबेस की अनियमितताएं अर्थात छात्र के विवरण का गैर-ग्रहण, विभिन्न आवेदकों द्वारा उपयोग की गई एक ही आधार संख्या, माता-पिता के व्यवसाय और आवेदक द्वारा भुगतान की गई कुल फीस का वार्षिक पारिवारिक आय के साथ सामंजस्य न होना देखी गई थी। आवेदन में व्यापार नियमों की अपूर्ण/अधूरी मैपिंग के परिणामस्वरूप ई-कल्याण पोर्टल द्वारा छात्रवृत्ति का अधिक भुगतान तथा अपात्र लाभार्थियों को छात्रवृत्ति का भुगतान पाई गई। परियोजना कार्यान्वयन समिति 2015 से सुप्त अवस्था में थी और नवंबर 2017 से पीएमयू गैर-कार्यात्मक था इसलिए 'ई-कल्याण' की निगरानी अप्रभावी थी।

6.1 परिचय

झारखण्ड सरकार अनुसूचित जाति (अ.जा.), अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) और पिछड़ा वर्ग (पि.व.) के छात्रों को प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक पाठ्यक्रम में पढ़ने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है ताकि वे अपनी शिक्षा पूरी कर सकें। अ.ज.जा, अ.जा., अल्पसंख्यक और पिछडा जाति कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार (कल्याण विभाग) ने पोस्ट मैट्रिक उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदनों को संसाधित करने और प्री और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के भुगतान के लिए एक ऑनलाइन छात्रवृत्ति पोर्टल 'ई-कल्याण' शुरू किया (जनवरी 2015)। 'ई-कल्याण' पोर्टल का मुख्य उद्देश्य छात्रवृत्ति के कार्यान्वयन और संवितरण के लिए पारदर्शिता और जवाबदेही प्रदान करना है, साथ ही आवेदनों के प्रसंस्करण, स्वीकृति और इसके संवितरण की गति पर नज़र रखना है।

'ई-कल्याण' पोर्टल का उद्देश्य कल्याण विभाग के परिश्रम को कम करना, दक्षता में वृद्धि करना और आवेदकों को परेशानी मुक्त सेवा प्रदान करना है। दो योजनाएं अर्थात। (i) प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना; और (ii) पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना (राज्य के भीतर / राज्य के बाहर) 'ई-कल्याण' पोर्टल के पटल पर हैं।

6.2 कार्य क्षेत्र

झारखण्ड राज्य में 'ई-पास' ऐप्लीकेशन का प्रतिरूपण कार्य क्षेत्र में शामिल है। ऐप्लीकेशन द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं में छात्र पंजीकरण, महाविद्यालय पंजीकरण, पूर्व और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति आवेदनों के महाविद्यालय / स्कूल द्वारा सत्यापन, क्षेत्र अधिकारी द्वारा सत्यापन, लाभार्थियों को धन हस्तांतरण के लिए

कोषागार के साथ एकीकरण, शिकायत निवारण, परामर्श केंद्रों के साथ एकीकरण आदि शामिल हैं।

6.3 डिजाइन और विकास

ई-जीओवी (**e-GOV)** समाधान के डिजाइन और विकास में आवश्यकता विश्लेषण, डेटाबेस का डिजाइन और उपयोगकर्ता इंटरफेस के साथ साथ अन्य मॉड्यूल जैसे: राज्य कल्याण विभाग, लाभार्थी, जाँच अधिकारी, शैक्षणिक संस्थान, कोषागार/निधि वितरण एजेंसी, बैंक और संबद्ध एजेंसी के साथ एकीकरण शामिल हैं।

'ई-कल्याण' छात्रवृत्ति पोर्टल विविध संस्थाओं की गतिविधियों के सहज एकीकरण के माध्यम से काम करता है, जैसे छात्रों, कॉलेजों, विभागों, आईटी सेवा प्रदाताओं, बैंकों, कोषागारों और राज्य कल्याण विभाग।

6.4 प्रमुख हितधारक

ई-कल्याण पोर्टल के प्रमुख हितधारक हैं:

- **छात्र**: कल्याण विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार आवेदन करने और आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करने के लिए जिम्मेदार और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के मामले में अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड के माध्यम से आवेदन की गई छात्रवृत्ति की स्थिति पर नज़र रखना**,** जबकि प्री मैट्रिक आवेदन स्कूलों, ब्लॉक और जिला स्तर के शिक्षा विभाग के कार्यालयों के माध्यम से जिला कल्याण कार्यालय प्रेषित करना है;
- **विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान**: उनके साथ नामांकित छात्रों के विवरण के साथ आवेदनों के सत्यापन और उनके द्वारा पेश किए गए विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए उनकी फीस संरचना को अपलोड करने के लिए जिम्मेदार है;
- **सत्यापन अधिकारी**: कल्याण विभाग द्वारा नियुक्त संबंधित सहायक, पोर्टल पर अपलोड किए गए छात्र के विवरण को सत्यापित करने के लिए जिम्मेदार है;
- **मनोनीत अधिकारी**: निधि की मंजूरी और योग्य छात्रों को संवितरण के लिए जि.क.अ. एवम लेखा सहायक, कोषागार से निकासी के लिए पीएफएमएस के माध्यम से विपत्र तैयार करने लिए जिम्मेदार है;
- **कोषागार**: प्रायोजक बैंकों को निर्धारित धनराशि का संवितरण;
- **बैंक**: डी.बी.टी. के माध्यम से पात्र छात्रों के खातों में छात्रवृत्ति का भुगतान, भुगतान की प्रक्रिया (सफलता/विफलता) के बाद प्रतिक्रिया फ़ाइल भुगतान के प्रवर्तक को प्रस्तुत करना और विफल लेनदेन की राशि को राजकोष में वापस करना, यदि कोई हो।

6.5 ई-कल्याण पोर्टल का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर

झारखण्ड में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति आवेदनों के प्रसंस्करण तथा प्री और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के भुगतान के लिए 'ई-कल्याण' एकल ऑनलाइन आवेदन सॉफ्टवेयर है। भूमिका आधारित अद्वितीय लॉग-इन आईडी और पासवर्ड 'ई-कल्याण' पोर्टल के सभी हितधारकों को सौंपा गया है। छात्रवृत्ति भुगतान के लिए 'ई-कल्याण' पोर्टल के माध्यम से आवेदनों की प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण शामिल हैं:

- **महाविद्यालय पंजीकरण**: संस्थानों (राज्य के भीतर और बाहर) को अपने महाविद्यालय विवरण (पाठ्यक्रम का नाम और शुल्क-संरचना) जमा करके 'ई-कल्याण' पोर्टल पर खुद को पंजीकृत करना आवश्यक है और पोर्टल पर वांछित दस्तावेज (संस्था मान्यता / संबद्धता प्रमाण पत्र, पाठ्यक्रम मान्यता प्रमाण पत्र, सरकारी प्राधिकरण / सक्षम प्राधिकारी / विश्वविद्यालय द्वारा विधिवत अनुमोदित शुल्क संरचना) अपलोड करना होगा। संबंधित जि.क.अ. राज्य के संस्थानों को मंजूरी देता है और आदिवासी कल्याण आयुक्त विधिवत सत्यापन के बाद राज्य के बाहर स्थित संस्थानों को मंजूरी देता है। तत्पश्चात छात्र आवेदन के सत्यापन / अग्रेषण के लिए तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा आगे सत्यापन के लिए संस्थानों को युजर-क्रेडेंशियल प्रदान किए जाते हैं।
- **छात्र पंजीकरण:** पोस्ट मैट्रिक के छात्र को 'ई-कल्याण' पोर्टल पर एक सामान्य आवेदन पत्र भरकर एक बार पंजीकरण की आवश्यकता होती है, जिसमें मूल व्यक्तिगत विवरण (जैसे नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर और ई-मेल पता) दर्ज होता है। छात्र के लिए सिस्टम द्वारा लॉग-इन आईडी और पासवर्ड उत्पन्न किया जाता है। छात्र ऑनलाइन छात्रवृत्ति आवेदन पत्र भरने के लिए युजर-क्रेडेंशियल के साथ लॉग-इन कर सकते हैं। छात्र को प्रमाणपत्रों/दस्तावेजों[51] की स्कैन प्रतियों को पोर्टल पर अपलोड करना भी आवश्यक है। हालाँकि, प्री मैट्रिक के मामले में जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा विधिवत अग्रेषित एक्सेल प्रारूप में छात्र डेटा संबंधित जि.क.अ. द्वारा अपने लॉग-इन क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके पोर्टल पर अपलोड किया जाना है।
- **जिला स्तर पर छात्र आवेदनों का सत्यापन**: संस्थानों द्वारा अग्रेषित छात्र के आवेदनों का विवरण संबंधित सहायक (डी.ए.) द्वारा जिला स्तर पर पोर्टल के अपने लॉग-इन क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके सत्यापित किया जा रहा है और आवेदन को स्वीकार करने, अस्वीकार करने या लंबित स्थिति में रखने की स्वीकृति देता है।
- **जिला स्तरीय प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन:** पोर्टल में लॉग इन करने पर जि.क.अ. को आवेदनों की मान्य सूची उपलब्ध होती है। मान्य आवेदकों के लिए पूर्व-निर्धारित रखरखाव शुल्क और शिक्षण शुल्क की गणना प्रणाली द्वारा की जाती

[51] जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, अंक पत्र, पासबुक और बोनाफाइड प्रमाण पत्र

है। जि.क.अ. अवार्ड सूची को मंजूरी देता है और इसे अंतिम रूप से प्रस्तुत करने के लिए लेखा सहायक (ले.स.) को भेजता है।

- **एमआईएस रिपोर्ट**: आदिवासी कल्याण आयुक्त राज्य स्तर पर विशिष्ट योजनाओं और बजट से संबंधित विभिन्न रिपोर्टों के निर्माण के लिए जिम्मेदार है।
- **बिल तैयार करना और भुगतान**: लेखा सहायक (ले.स.) आवेदकों की अनुमोदित सूची के लिए विपत्र तैयार करते है और विपत्र को कोषागार में अनुमोदन के लिए भेजते है।
- **राशि वितरण**: कोषागार राशि को मंजूरी देता है और इसे जि.क.अ. के बैंक खाते में स्थानांतरित करता है, जो डी.बी.टी. के माध्यम से अंतिम संवितरण के लिए नामांकित बैंक को अनुमोदित छात्रों की अंतिम सूची के अनुसार पीएफएमएस एडवाइस प्रस्तुत करता है। भुगतान के बाद बैंक संबंधित जि.क.अ. को बैंक-रेस्पोंस-फ़ाइल प्रदान करता है जिसे बाद में जिला स्तरीय अधिकारी द्वारा 'ई-कल्याण' पोर्टल पर अपलोड किया जाता है। चूँकि, राशि वितरण प्रक्रिया 'ई-कल्याण' पोर्टल के साथ एकीकृत नहीं है, इसलिए इसे जि.क.अ. द्वारा मैन्युअल रूप से किया जा रहा है। ई-कल्याण एप्लिकेशन के मॉड्यूल **तालिका 6.1** में उल्लेखित हैं:

तालिका 6.1: 'ई-कल्याण' एप्लिकेशन में मॉड्यूल

क्र. सं.	मॉड्यूल का नाम	कार्य क्षेत्र	मॉड्यूल की स्थिति
1	महाविद्यालय पंजीकरण	ई-कल्याण' के तहत नए कॉलेजों का पंजीकरण	पूर्णतः कार्यशील
2	छात्र पंजीकरण	नए छात्र का पंजीकरण	केवल पोस्ट मैट्रिक छात्रों के लिए कार्यशील
3	प्री और पोस्ट मैट्रिक के लिए महाविद्यालय / स्कूल सत्यापन	छात्र विवरण का उपयोग कर स्कूल और महाविद्यालय द्वारा सत्यापन	केवल पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए कार्यशील
4	संबंधित सहायक (डी.ए.) द्वारा सत्यापन	डी.ए. द्वारा ऑनलाइन छात्रवृत्ति आवेदन सत्यापन	पूर्णतः संचालित
5	लेखा सहायक (ले.स.) द्वारा कोषागार विपत्र जनरेशन	विपत्र और प्रारूपों की ऑनलाइन जनरेशन	पूर्णतः संचालित
6	ईआईडी (EID) से यूआईडी (UID) रूपांतरण	यूआईडीएआई सर्वर में डेटा के साथ ई-कल्याण सर्वर में डेटा की तुलना करके ईआईडी को यूआईडी में परिवर्तित करना।	कार्यशील नहीं
7	आरएएसएफ (RASF) सत्यापन	ई-कल्याण सर्वर में उपलब्ध कराए गए छात्र का नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि और फोटो का यूआईडी नंबर से यूआईडीएआई डेटाबेस में मिलान किया जाएगा।	कार्यशील नहीं

क्र. सं.	मॉड्यूल का नाम	कार्य क्षेत्र	मॉड्यूल की स्थिति
8	बैंक सीडिंग	बैंक खाते के विवरण के साथ सत्यापित यूआईडी संख्या राज्य स्तरीय बैंकर समिति और बैंक के अग्रणी जिला प्रबंधक को प्रदान की जाती है। वे डेटा सीड प्राप्त करते हैं और इसे ई-कल्याण सर्वर पर अपलोड करते हैं।	कार्यशील नहीं
9	आधार डी.बी.टी.	विभाग सीधे छात्रों की अनुमोदित सूची से डेटा प्राप्त करता है और इसे संवितरण उद्देश्य के लिए कोषागार में भेजता है	कार्यशील नहीं
10	एनपीसीआई अद्यतन	जि.क.अ. एक एक्सेल/सीएसवी फाइल बनाकर छात्रवृत्ति डेटा की जाँच करने में सक्षम होगा जहां इसे यूआईडी विवरण के साथ मिलान किया जाएगा और स्थिति को ई-कल्याण एप्लिकेशन में अपडेट किया जा सकता है।	कार्यशील नहीं
11	जि.क.अ. द्वारा सत्यापन/ रिलीज ऑर्डर जेनरेशन	फील्ड ऑफिसर कि जाँच प्रतिवेदन के आधार पर छात्र के विवरण का सत्यापन करना और छात्रों के लिए छात्रवृत्ति को मंजूरी देना।	पूर्णतः संचालित
12	कोषागार	कोषागार विपत्र कोषागार नियमों/कोड के अनुसार जनरेट किया जाता है और क्यूआर कोड के साथ कोषागार को प्रदान किया जाता है।	कार्यशील नहीं
13	एमआईएस प्रतिवेदन	राज्य, जिला/महाविद्यालय/छात्र/सार्वजनिक स्तर पर विभिन्न प्रतिवेदन	पूर्णतः संचालित
14	पीएमयू मॉड्यूल	बैंक खाते में परिवर्तन, महाविद्यालय/हॉस्टल में परिवर्तन और नए महाविद्यालय/पाठ्यक्रमों को जोड़ने जैसे अपवादों के मामले में।	1 नवंबर 2017 से काम नहीं कर रहा था। हालाँकि, ये कार्य सीजीजी स्तर से संचालित किए गए थे।
15	शिकायत निवारण	प्रश्नों/शिकायतों का निवारण	सीजीजी स्तर पर कार्यशील।

'ई-कल्याण' एप्लिकेशन के विभिन्न हितधारक अपनी सेवा आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न यूजर इंटरफेस का उपयोग कर रहे हैं जैसे छात्र पंजीकरण और आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करने के लिए "छात्र यूजर इंटरफेस"; विश्वविद्यालयों/ कॉलेजों/संस्थानों के पंजीकरण, आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करने और महाविद्यालय के विवरणों को अपडेट करने के लिए "महाविद्यालय यूजर इंटरफेस"; संबंधित सहायक, जिला कल्याण अधिकारी, लेखा सहायक और आदिवासी कल्याण आयुक्त के लिए आवेदनों के सत्यापन और अनुमोदन, कोषागार को अग्रेषित करने, विपत्र तैयार करने और विभिन्न प्रतिवेदन तैयार करने के लिए "ई-कल्याण

आधिकारिक लॉगिन इंटरफ़ेस" और पंजीकृत कॉलेजों के अनुमोदन और स्थिति प्रतिवेदन तैयार करने के लिए "ई-कल्याण पीएमयू उपयोगकर्ता इंटरफ़ेस"। हालाँकि, झारखण्ड में राज्य स्तर पर पीएमयू (जेएपी-आईटी) नवंबर 2017 से कार्यशील नहीं था लेकिन इन कार्यों को सीजीजी स्तर से संचालित किया जा रहा था जैसा कि **तालिका 6.1** में चर्चा की गई है।

6.6 ई-कल्याण पोर्टल में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी

'ई-कल्याण' स्कॉलरशिप पोर्टल वेब आधारित एप्लिकेशन है, जिसे सीजीजी डेटा सेंटर सर्वर, हैदराबाद पर होस्ट किया जाता है। होस्टिंग वातावरण टॉमकैट सर्वर है और एप्लिकेशन के लिए डेटाबेस बनाने के लिए पोस्टग्रे एसक्यूएल सर्वर का उपयोग किया जाता है। वेब ब्राउज़र (जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर (आईई) या मोज़िला ऑनलाइन इंटरमीडिएट एडमिशन सिस्टम, फॉक्स 2.0) का उपयोग करने वाले क्लाइंट को कुकीज़ को ईनेबल करने की आवश्यकता है। फॉर्म डिजाइन, एप्लिकेशन और डेटाबेस सर्वर के लिए निम्नलिखित सॉफ्टवेयर का उपयोग किया गया था:

- फॉर्म डिजाइन: जावा डेवलपमेंट किट, जावा सर्वर पेज, सर्वलेट्स, जेडीबीसी, स्त्रुट्स;
- क्लाइंट पक्ष: वेब ब्राउज़र;
- सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम: आर.एच.ई.एल.6.एक्स;
- एप्लिकेशन सर्वर और वेब सर्वर: टॉमकैट 7; और
- डेटाबेस सर्वर: पोस्टग्रे एस.क्यू.एल. 9.2

6.7 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

2017-18 से 2020-21 (जुलाई 2020 तक) की अवधि को शामिल करते हुए "ई-कल्याण पोर्टल पर आईटी ऑडिट" यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया था कि:

1. योजना प्रबंधन के लिए उपयोग किए जाने वाले आईटी एप्लिकेशन/सॉफ्टवेयर में (क) लाभार्थी प्रबंधन, लाभ प्रसंस्करण और अनुमोदन आदि और (ख) सभी डेटा की अखंडता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त और प्रभावी नियंत्रण थे?
2. निधि हस्तांतरण प्लेटफॉर्म (पीएफएमएस या अन्य एप्लिकेशन) के हिस्से के रूप में आईटी और गैर-आईटी नियंत्रण से संबंधित (क) लाभार्थी डी-डुप्लीकेशन और बैंक खाता सत्यापन (ख) लाभार्थी के बैंक खातों में भुगतान के हस्तांतरण और (ग) असफल लेन-देन/त्रुटियों का समाधान और प्रबंधन पर्याप्त और प्रभावी था?

6.8 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा मानदंड निम्नलिखित से तैयार किए गए थे:

- डी.बी.टी. मिशन, भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा जारी दस्तावेज, परिपत्र, निर्देश, संकल्प और अधिसूचनाएं;

- उपयोगकर्ता/सिस्टम आवश्यकता विनिर्देश, आईटी नियंत्रण दस्तावेज़, ई-कल्याण एप्लिकेशन की विभिन्न प्रतिवेदन तैयार करना;
- अ.जा., अ.ज.जा. और पि.व. के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजनाओं पर दिशा-निर्देश;
- ई-कल्याण एप्लिकेशन के कार्यान्वयन पर सरकार/विभाग के निर्देश/अधिसूचनाएं;
- सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर)/झारखण्ड वित्तीय नियम (जेएफआर) और झारखण्ड ट्रेजरी कोड (जेटीसी)।

6.9 कार्यक्षेत्र और कार्यप्रणाली

लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र और कार्यप्रणाली में योजना प्रबंधन सॉफ्टवेयर/एप्लीकेशन (ई-कल्याण) पोर्टल का डिजाइन, विकास और अधिग्रहण शामिल है। लेखापरीक्षा द्वारा विभाग से अप्रैल 2017 से जुलाई 2020 की अवधि के लिए ई-कल्याण का डाटा डंप (अप्रैल एवं जून 2021) प्राप्त किया गया था। डाटा डंप का विश्लेषण कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टूल्स (सीएएटी) जैसे डेटा विश्लेषणात्मक सॉफ्टवेयर आर और एक्सेल की सहायता से किया गया था। कल्याण विभाग तथा सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग के अभिलेखों की जाँच की गई। इसके अलावा, डाटा डंप के विश्लेषण से प्राप्त लीड के आधार पर नमूना जिलों[52] के साथ-साथ नमूना संस्थानों में जि.क.अ. के अभिलेखों की नमूना जाँच की गई थी।

6.10 परियोजना कार्यान्वयन

कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार के तहत छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए वेब आधारित सूचना और सेवा वितरण प्रणाली के लिए सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग (डीओआईटी), झारखण्ड सरकार (झा.स.) द्वारा एक पायलट परियोजना 'ई-कल्याण' शुरू की गई (मई 2006)। 'ई-कल्याण' एप्लिकेशन के कार्यान्वयन (2010) के बाद, छात्रवृत्ति भुगतान के लिए आवेदन प्राप्त करने की सभी प्रक्रियाएं ऑनलाइन कर दी गई थीं और 2013-14 तक क्रियाशील थीं। बाद में, सीजीजी द्वारा विकसित एक नया एप्लिकेशन 'ई-पास', 'ई-कल्याण' के स्थान पर आरआरआर के तहत झारखण्ड में शुरू किया गया (जनवरी 2015), हालाँकि, आवेदन का नामकरण पीआरएसजी, भारत सरकार द्वारा सहमति (मई 2014) के अनुसार समान ही रहा। अनुबंध समझौते (अक्टूबर 2014) के अनुसार, छह महीने की कार्यान्वयन अवधि और 24 महीने की संचालन और रखरखाव (ओ एंड एम) अवधि सहित कुल परियोजना अवधि 30 महीने थी। यद्यपि अक्टूबर 2014 में एजेंसी के साथ समझौता करने से पहले भारत सरकार द्वारा ₹ 1.00 करोड़ की पहली किस्त जारी की गई थी (जनवरी 2014), परियोजना, सिस्टम रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफिकेशन (एस.आर.एस.) को बिना अंतिम रूप दिए और अविकसित मॉड्यूल के साथ राज्य सरकार द्वारा आवेदन फाइलिंग के अनुमोदन के बाद सशर्त चालू (जनवरी 2015) हो सकी। इसके अलावा, एजेंसी अभी

[52] 1. चतरा; 2. पूर्वी सिंहभूम; 3. गोड्डा; 4. हजारीबाग; 5. पलामू और 6. राँची।

भी वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार की सिफारिशों पर झारखण्ड कैबिनेट की मंजूरी (अगस्त 2019) के साथ नामांकन के आधार पर चयनित विस्तारित परियोजना कार्यकाल (मार्च 2018) के पूरा होने के बाद भी पोर्टल का संचालन जारी रखे हुए है। यद्यपि कल्याण विभाग के संकल्प (अगस्त 2019) में जेएपी-आईटी[53] द्वारा विकसित की जाने वाली छात्रवृत्ति योजनाओं के ऑनलाइन संचालन के लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था की जानी थी, लेकिन मई 2022 तक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई थी।

अगस्त 2014 और दिसंबर 2014 के बीच आयोजित एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोक्ता स्वीकृति परीक्षण (यू.ए.टी.) के दौरान प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति और पोस्ट मैट्रिक छात्र पंजीकरण मॉड्यूल के पूरा होने के संबंध में सीजीजी द्वारा पुष्टि प्राप्त करने के पश्चात 2 जनवरी 2015 की प्रारंभ तिथि के साथ परियोजना कार्यान्वयन/संचालन समिति[54] (जनवरी 2015) ने 'ई-पास' छात्रवृत्ति आवेदन को ऑनलाइन भरने कि मंजूरी दी।

इसके अलावा, रिमोट आधार सीडिंग फ्रेमवर्क (आर.ए.एस.एफ.), रिपॉजिटरी लिंकिंग, पुल अप सर्विसेज, ट्रेजरी लिंकिंग, बैंक लिंकिंग, माइनॉरिटी स्कीम्स, राज्य के भीतर चल रही विभिन्न अन्य छात्रवृत्ति योजनाओं का एकीकरण जैसी विशेषताएं, परियोजना की शुरुआत के समय परिकल्पित की गई थीं, जो मई 2022 तक प्रदान नहीं की गई।

6.11 योजना

ई-पास के सशर्त कार्यान्वयन के बाद अंतर-विभागीय बैठक (जून 2015) में यह निर्णय लिया गया कि आवेदन को ई-केवाईसी के साथ एकीकृत किया जाए, ताकि लाभार्थियों की जानकारी आधार डेटाबेस से स्वचालित रूप से प्राप्त की जा सके; कोषागार एप्लीकेशन के साथ एकीकृत किया जाए, जिससे लाभों को सीधे लाभार्थी के खातों में स्थानांतरित किया जा सके और ई-पास आवेदन को राष्ट्रीय ई-छात्रवृत्ति (एनईएसपी) पोर्टल पर जून 2016 तक स्थानांतरित करने के लिए कार्य सीजीजी को सौंपा गया था। परन्तु मई 2022 तक सौंपे गये एवं वांछित कार्य पूर्ण नहीं किये गये परिणाम स्वरूप छात्रवृत्ति योजना के क्रियान्वयन में अनेक अनियमिततायें पायी गयी जिसकी चर्चा अनुवर्ती कंडिकाओं में की जा रही है।

---

[53] सूचना प्रौद्योगिकी के प्रचार के लिए झारखण्ड एजेंसी (JAP-IT) सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक स्वायत्त इकाई है, जिसका उद्देश्य ई-पास (ई-कल्याण छात्रवृत्ति ऑनलाइन आवेदन) की परियोजना निगरानी इकाई का प्रबंधन करना है।

[54] एक अंतर्विभागीय समिति की अध्यक्षता के रूप में 1. प्रधान सचिव, आईटी विभाग, झारखण्ड; 2. प्रधान सचिव, कल्याण विभाग, झारखण्ड; 3. वरिष्ठ निदेशक, आईटी विभाग, भारत सरकार; 4. निदेशक, आईटी विभाग, भारत सरकार; 5. आदिम जाति कल्याण आयुक्त; 6. निदेशक/विशेष सचिव, आईटी विभाग, झारखण्ड; 7. सीईओ/ओएसडी, आईटी विभाग, जेएपी-आईटी, झारखण्ड ; 8. एसआईओ, एनआईसी; 9. सहायक निदेशक, आईटी विभाग, झारखण्ड

6.12 आईटी नियंत्रण विफलताओं

आगे के कंडिकाओ में ई-कल्याण के सामान्य नियंत्रण, एप्लीकेशन नियंत्रण, प्रक्रिया नियंत्रण और भुगतान विधि नियंत्रण के तहत विफलताओं के प्रभावों पर चर्चा की गई है। निम्नलिखित निष्कर्ष 2017-18 से 2020-21 (जुलाई 2020 तक) की अवधि के लिए कल्याण विभाग द्वारा प्रदान किए गए ई-कल्याण के डाटा डंप के विश्लेषण पर आधारित हैं।

6.12.1 सामान्य नियंत्रण विफलता

- ***अपर्याप्त भौतिक नियंत्रण:*** भौतिक अभिगम नियंत्रण विशेष रूप से यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से हैं कि आईटी सेवाओं में अनधिकृत पहुंच और हस्तक्षेप को रोकने के लिए केवल प्रबंधन द्वारा अधिकृत लोगों के पास कंप्यूटर सिस्टम तक भौतिक पहुंच हो। इस उद्देश्य को पूरा करने में, कंप्यूटर उपकरण और निहित जानकारी को अनधिकृत उपयोगकर्ताओं से सुरक्षित किया जाना चाहिए। 2017-20 की अवधि के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना से संबंधित 'ई-कल्याण' डेटाबेस के विश्लेषण से पता चला कि 1770 मामलों में 00:00 बजे से 05:00 बजे तक (कार्यालय समय के बाद) 'ई-कल्याण' पोर्टल के नामित उपयोगकर्ताओं (जिला स्तर और ऊपर) द्वारा कंप्यूटर सिस्टम तक भौतिक पहुंच लॉग-इन पाई गई। इस प्रकार, आईटी सेवाओं में अनधिकृत पहुंच और हस्तक्षेप से इंकार नहीं किया जा सकता।
- ***अपर्याप्त तार्किक नियंत्रण:*** तार्किक अभिगम नियंत्रण का सबसे सामान्य रूप लॉगिन पहचानकर्ता (आईडी) है जिसके बाद पासवर्ड प्रमाणीकरण होता है। पासवर्ड प्रभावी होने के लिए उपयुक्त पासवर्ड नीतियाँ और प्रक्रियाएँ होनी चाहिए, जो सभी कर्मचारियों को ज्ञात हों और जिनका पालन किया जाता हो। संगठन, उदाहरण के लिए, न्यूनतम पासवर्ड लंबाई निर्धारित करके, नियमित पासवर्ड परिवर्तन के लिए बाध्य करके और विशुद्ध रूप से संख्यात्मक पासवर्ड, लोगों के नाम, या अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देने वाले शब्दों को स्वचालित रूप से अस्वीकार करके पासवर्ड सिस्टम को अनुकूलित करने में सक्षम हो सकते हैं।

कल्याण विभाग ने कहा (मई 2022) कि 'ई-कल्याण' पोर्टल के लिए पासवर्ड नीति मौजूद है, लेकिन 'ई-कल्याण' डेटाबेस के डेटा विश्लेषण से पता चला कि जनवरी 2017 और सितंबर 2018 के बीच बनाए गए 2,14,110 उपयोगकर्ताओं में से केवल 37,242 के पासवर्ड इस अवधि के दौरान अपडेट किए गए थे। इसके अलावा, 'ई-कल्याण' डेटाबेस में संग्रहीत पासवर्ड विशुद्ध रूप से संख्यात्मक, लोगों के नाम या शब्दों का उपयोग करते हुए उपयुक्त पासवर्ड नीति और प्रक्रियाओं के प्रावधानों के खिलाफ पाए गए। हालाँकि एप्लीकेशन टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग (सीडीएसी) के माध्यम से अंतिम चरण परीक्षण (नवंबर 2020 और मार्च 2021) के माध्यम से किया गया था और पांच सिफारिशों के साथ एक ऑडिट सर्टिफिकेट जारी किया गया था (मार्च 2021) और यह तब तक वैध है जब

तक कि इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाता है या आवेदन की गतिशील सामग्री या जारी करने की तारीख से एक वर्ष जो भी पहले हो। सी-डैक ने यह भी सिफारिश की कि कम से कम एक वर्ष के लिए ऑडिट ट्रेल्स, स्वच्छ लॉगिंग और लॉग की नियमित निगरानी की जानी चाहिए।

लेखापरीक्षा ने देखा कि सी-डैक द्वारा सिफारिश किए जाने के बावजूद स्वच्छ लॉगिंग को लागू नहीं किया गया था। हालाँकि, फील्ड ऑडिट के दौरान सुरक्षा भंग का कोई मामला नहीं पाया गया लेकिन यह देखा गया कि आधिकारिक लॉगिन (डी.ए. और जि.क.अ. स्तर) में, पंजीकृत छात्रों के पासवर्ड, छात्र विवरण स्क्रीन में अनमास्क्ड प्रारूप में प्रदर्शित होते हैं। ऐसे में विभाग द्वारा उपयोग की जाने वाली कमजोर पासवर्ड नीति के कारण सुरक्षा भंग की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

6.12.2 एप्लिकेशन नियंत्रण विफलता

- ***अपर्याप्त इनपुट नियंत्रण:*** इनपुट पर नियंत्रण सिस्टम की अखंडता के लिए महत्वपूर्ण हैं। इनपुट नियंत्रण उचित रूप से गारंटी देता है कि (i) प्रसंस्करण के लिए प्राप्त डेटा वास्तविक, पूर्ण, पहले संसाधित नहीं, सटीक और उचित रूप से अधिकृत हैं; और (ii) डेटा सटीक और बिना दोहराव के दर्ज किया गया है। इसके अलावा, स्वचालित सत्यापन जाँच यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए कि सिस्टम में स्वीकार किए गए सभी डेटा बाद की सभी प्रक्रियाओं द्वारा स्वीकार करने में सक्षम हैं, जिसमें अन्य सिस्टम में स्वीकृति शामिल है जहां डेटा का स्वत: स्थानांतरण होता है।

2017-20 की अवधि के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना से संबंधित 'ई-कल्याण' डेटाबेस के डेटा विश्लेषण से पता चला कि (i) 3,437 मामलों में आवेदकों की वार्षिक पारिवारिक आय ₹ एक लाख से कम थी, जबकि माता-पिता या दोनों सरकारी सेवा में थे; (ii) 164 मामलों में ***(परिशिष्ट-6.1)*** जन्म के वर्ष और प्रवेश के वर्ष के बीच का अंतर दस (10) वर्ष या उससे कम है; (iii) 602 मामलों में ***(परिशिष्ट-6.2)*** अलग-अलग आवेदकों के नाम एक/समान आधार संख्या के लिए दर्ज किए गए थे और (iv) 1,04,536 मामलों में एसएससी /मैट्रिक (10 वीं कक्षा) के विवरण दर्ज करने के लिए कॉलम खाली छोड़ दिया गया था। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि "ई-कल्याण" एप्लिकेशन में मजबूत डेटा इनपुट और सत्यापन नियंत्रण अनुपस्थित थे।

- ***लाभार्थियों के मोबाइल नंबर प्राप्त न करना:*** 'ई-कल्याण' की निगरानी बैठक (जुलाई 2013) के दौरान, झारखण्ड के मुख्य सचिव ने डीओआईटी, झारखण्ड सरकार को तीन चरणों में छात्रों को उनके संबंधित मोबाइल नंबरों पर एसएमएस के माध्यम से जानकारी प्रदान करने के लिए एक एसएमएस गेटवे तैयार करने का निर्देश दिया, जैसे (i) छात्रों से पूर्ण आवेदन प्राप्त होने पर; (ii) छात्रवृत्ति राशि के अनुमोदन पर; और (iii) छात्रवृत्ति राशि के संवितरण के बाद। इसके अलावा, 'ई-कल्याण' पोर्टल का एसआरएस दस्तावेज भी छात्रों को एसएमएस अलर्ट और ई-मेल के माध्यम से उनके आवेदनों के लंबित होने और अनुपालन के

लिए छात्रवृत्ति की प्रतिपूर्ति न होने की स्थिति में संचार प्रदान करता है, जिसके लिए उम्मीदवारों द्वारा ऑनलाइन आवेदन दाखिल करने के दौरान आवेदन में मोबाइल नंबर लेने की सुविधा है।

2017-20 की अवधि के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं (राज्य के भीतर और बाहर) के ई-कल्याण डेटाबेस के विश्लेषण से पता चला कि छात्रों द्वारा प्रस्तुत छात्रवृत्ति के लिए 30,826 आवेदनों की स्थिति को विभिन्न स्तरों पर लंबित दिखाया गया था। लेखापरीक्षा ने देखा कि पोर्टल में मोबाइल नंबर दर्ज करने के लिए फील्ड को अनिवार्य नहीं बनाया गया था और इसलिए छात्रों द्वारा आवेदन दाखिल करने के समय मोबाइल नंबर नहीं लिए गए थे। इस प्रकार, एसएमएस अलर्ट के माध्यम से लाभार्थियों को उनके आवेदनों के सम्बंध में आपत्ति के बारे में सूचित नहीं किया जा सका। परिणामस्वरुप, छात्र 2017-20 के दौरान छात्रवृत्ति प्राप्त करने से वंचित रह गए।

- ***लाभार्थियों को छात्रवृत्ति का अमान्य भुगतानः*** दिशा-निर्देशों के अनुसार छात्रवृत्ति योजना के पात्र वही छात्र होंगे जिन्होंने पिछले शैक्षणिक वर्ष में पिछली कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद नए शैक्षणिक वर्ष में अगली कक्षा में प्रवेश लिया हो। इसके अलावा, संस्थान छात्रवृत्ति के लिए सिफारिश से पहले छात्रों द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेजों की प्रविष्टियों को मूल दस्तावेजों के साथ सत्यापित करने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है। 'ई-कल्याण' पोर्टल में उम्मीदवारों का विवरण, पाठ्यक्रम विवरण और संस्थान विवरण दर्ज करने की भी सुविधा है।

2017-18 से 2019-20 की अवधि के दौरान पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लिए 'ई-कल्याण' डेटाबेस के डेटा विश्लेषण से पता चला कि:

i. आवेदक का एक ही नाम, पिता का नाम, बैंक खाता संख्या और विशिष्ट पहचान (यूआईडी) (आधार संख्या) वाले 257 छात्रों ***(परिशिष्ट-6.3 क और 6.3 ख)*** के आवेदनों को विभिन्न शैक्षणिक वर्षों में एक ही पाठ्यक्रम के लिए 125 अन्य संस्थानों से (राज्य के भीतर: 114 और राज्य के बाहर: 11) ₹ 22.56 लाख की छात्रवृत्ति प्रदान कि गई जिन्हें पहले भी उन्ही पाठ्यक्रम के अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति दी गई थी।

चार नमूना जाँच किए गए जिलों में 21 नमूना संस्थानों[55] में रखे गए अभिलेखों के भौतिक सत्यापन से पता चला कि आवेदन सॉफ्टवेयर में पहले से चल रहे पाठ्यक्रमों के लिए विभिन्न शैक्षणिक वर्षों में छात्रों को छात्रवृत्ति के लिए आवेदन को नियंत्रण करने के अभाव में विभिन्न संस्थानों से विभिन्न शैक्षणिक वर्षों में एक ही पाठ्यक्रम के लिए 34 लाभार्थियों के लिए छात्रवृत्ति (₹ 2.65 लाख) का भुगतान स्वीकृत किया गया था।

---

[55] चतरा : 02 संस्थानों में 04 मामले (₹ 0.26 लाख); हजारीबाग: 05 संस्थानों में 07 मामले (₹ 0.30 लाख); पलामू : 03 संस्थानों में 06 मामले (₹ 0.47 लाख); और राँची: 11 संस्थानों में 17 मामले (₹ 1.62 लाख)

केस स्टडी -1

चतरा जिले में, लेखापरीक्षा ने देखा कि एक आवेदक, अनुराधा लकड़ा (2017-18 की आवेदन आईडी: 1399494), उपेंद्र नाथ वर्मा इंटर महाविद्यालय, चतरा (संस्थान कोड: 2236) से इंटरमीडिएट ऑफ साइंस (I.Sc) के पाठ्यक्रम के लिए शैक्षणिक वर्ष 2016-17 और 2017-18 के लिए छात्रवृत्ति से सम्मानित किया गया था। फिर से, उसी छात्र (2018-19 का आवेदन आईडी: 1691374) को अन्य संस्थान (आर डी एस इंटर महाविद्यालय, जितनी मोरे, चतरा का संस्थान कोड: 2213) से समान पाठ्यक्रम (I.Sc, द्वितीय वर्ष) करने के लिए छात्रवृत्ति से सम्मानित किया गया।

एक अन्य आवेदक, बलराम कुमार रवि (2019-20 की एप्लीकेशन आईडी: 1812200), को उपेंद्र नाथ वर्मा इंटर महाविद्यालय, चतरा (संस्थान कोड: 2236) से शैक्षणिक वर्ष 2019-20 (प्रथम वर्ष) और 2020-21 (द्वितीय वर्ष) के दौरान इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स (I.A) पाठ्यक्रम करने के लिए छात्रवृत्ति से सम्मानित किया गया लेकिन उसी छात्र को सेंट कोलंबस महाविद्यालय, हजारीबाग (संस्थान कोड: 502) से शैक्षणिक वर्ष 2017-18 (प्रथम वर्ष) के दौरान समान पाठ्यक्रम (आईए) करने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की गई थी।

ii. इसी प्रकार, 205 छात्रों (राज्य के भीतर 201 छात्रों और राज्य के बाहर 04 छात्रों) ने समान आवेदक नाम, पिता के नाम और बैंक खाता संख्या के साथ लेकिन अलग-अलग विशिष्ट पहचान संख्या (आधार संख्या) के साथ समान/विभिन्न शैक्षणिक वर्षों में छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया, ***(परिशिष्ट-6.4 क और 6.4 ख)*** में वर्णित है। एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर में आधार सत्यापन नियंत्रण के अभाव में, समान/विभिन्न शैक्षणिक वर्षों में विभिन्न यूआईडी का उपयोग करते हुए 410 आवेदनों के माध्यम से 205 छात्रों को ₹ 40.31 लाख (राज्य के भीतर ₹ 38.31 लाख और राज्य के बाहर ₹ 2.00 लाख) छात्रवृत्ति दी गई जो संदेहास्पद था।

तीन नमूना-जाँचित जिलों में 08 नमूना संस्थानों[56] में रखे गए अभिलेखों के भौतिक सत्यापन से पता चला कि विभिन्न आधार संख्या (यूआईडी) के साथ विभिन्न शैक्षणिक वर्षों में 14 नमूना-जाँच किए गए लाभार्थियों में से 13 के लिए छात्रवृत्ति (₹ 1.19 लाख) का भुगतान स्वीकृत किया गया था। यह इस तथ्य के कारण है कि अलग-अलग शैक्षणिक वर्ष में समान/ भिन्न संस्थानों से समान/ भिन्न पाठ्यक्रमों में पढ़ने वाले छात्रों के आवेदनों के अनुमोदन को रोकने के लिए प्रभावी इनपुट और सत्यापन नियंत्रण के साथ एप्लिकेशन सॉफ़्टवेयर डिज़ाइन नहीं किया गया है।

[56] पूर्वी सिंहभूम: 02 संस्थानों में 04 मामले (₹ 0.27 लाख); गोड्डा: 02 संस्थानों में 04 मामले (₹ 0.35 लाख); और पलामू: 04 संस्थानों में 05 मामले (₹ 0.57 लाख)

केस स्टडी -2

पलामू जिले में, एक लाभार्थी, काजल कुमारी (2017-18 की आवेदन आईडी: 822437) को आईएससी करने के लिए योग सिंह नामधारी महिला महाविद्यालय, डाल्टनगंज से यूआईडी (संख्या XXXXXXXX3873) के साथ छात्रवृत्ति से सम्मानित किया गया। फिर से, शैक्षणिक वर्ष 2018-19 में, उसी लाभार्थी (2018-19 की आवेदन आईडी: 1539150) को एसएसएम्एस डिग्री महाविद्यालय, तरहसी, पलामू से एक अलग यूआईडी (संख्या XXXXXXXX6284) के साथ हिंदी में कला स्नातक (ऑनर्स) करने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की गई।

एक अन्य छात्र, सोनम भारती (2017-18 की आवेदन आईडी - 1469689), यूआईडी (संख्या XXXXXXXX8326) के साथ गणेश लाल अग्रवाल महाविद्यालय, डालटनगंज (पलामू) से मास्टर ऑफ आर्ट्स करने के लिए छात्रवृत्ति से सम्मानित किया गया और फिर वही लाभार्थी (आवेदन आईडी: 2024574, 2019-20) ने ज्योति प्रकाश महिला बी.एड महाविद्यालय, पलामू से यूआईडी (संख्या XXXXXXXX8750) के साथ बी. एड. करने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की, जो दर्शाता है कि आवेदन सॉफ्टवेयर में छात्र के व्यक्तिगत विवरण के साथ यूआईडी के सत्यापन नियंत्रण का अभाव है।

6.12.3 अपर्याप्त प्रक्रिया नियंत्रण

- ***लाभार्थियों को छात्रवृत्ति का अधिक भुगतान:*** दिशा-निर्देशों के अनुसार, पोस्ट मैट्रिक संस्थानों (राज्य के भीतर और बाहर) में अध्ययन करने वाले सभी पात्र छात्रों (डे स्कॉलर्स और हॉस्टलर्स) को विभिन्न समूहों और छात्रवृत्ति स्लैब में पाठ्यक्रमों का वर्गीकरण, प्रकार और प्रकृति (भारत सरकार / राज्य सरकार / निजी संस्थानों) के अनुसार छात्रवृत्ति और रखरखाव भत्ता का भुगतान किया जाएगा। 'ई-कल्याण' पोर्टल में योग्य उम्मीदवार को देय शिक्षण शुल्क और रखरखाव भत्ते की राशि की स्वतः गणना करने की सुविधा है, जैसा कि फ़ील्ड प्रकार और छात्र की प्रकृति, पाठ्यक्रम के समूह और संस्थान के लिए प्राप्त आंकड़ों के अनुसार दिशा-निर्देश मे परिकल्पित है।

2017-18 से 2019-20 की अवधि के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं (राज्य के भीतर और बाहर) के ई-कल्याण डेटाबेस के विश्लेषण से पता चला कि विभिन्न पाठ्यक्रमों को जारी रखने के लिए लाभार्थियों को **कंडिका 3.8.3** में वर्णित छात्रवृत्ति की देय राशि के अनुसार विभिन्न संस्थानों में जि.क.अ. द्वारा 'ई-कल्याण' पोर्टल के माध्यम से छात्रवृत्ति स्वीकृत की गई।

डेटा विश्लेषण से पता चला कि महाविद्यालय मास्टर तालिका में महाविद्यालय प्रकार/महाविद्यालय प्रकृति की संख्या वाले फिल्ड में डेटा, संबंधित संस्थानों द्वारा गलत तरीके से भरा गया था (संस्थान के प्रकार के फील्ड में राज्य सरकार/निजी संस्थानों से संबंधित संस्थान के स्थान पर भारत सरकार से संबंधित संस्थान दर्शाया

गया था) और जि. क.अ./ आदिवासी कल्याण आयुक्त द्वारा सत्यापित और संशोधित नहीं किये गए थे, क्योंकि जि.क.अ./ आदिवासी कल्याण आयुक्त राज्य के भीतर और राज्य के बाहर के संस्थानों के दस्तावेजों के साथ 'ई-कल्याण' पोर्टल में संस्थानों के पंजीकरण के दौरान मास्टर डेटाबेस में संस्थानों द्वारा भरे गए महाविद्यालय विवरणों के सत्यापन के लिए जिम्मेदार हैं। वे त्रुटियों के सुधार के लिए भी जिम्मेदार थे। परिणामस्वरूप, संस्थानों/पाठ्यक्रमों के गलत वर्गीकरण के कारण 2017-20 के दौरान जि.क.अ. द्वारा ₹ 23.21 करोड़ की छात्रवृत्ति का अधिक भुगतान स्वीकृत किया गया था।

भौतिक सत्यापन के दौरान, लेखापरीक्षा ने नमूना जाँच किए गए पाँच जिलों में छात्रवृत्ति के अधिक भुगतान को देखा जैसा कि **कंडिका 3.7.3** में चर्चा की गई है।

- ***पिछड़े समुदाय के अपात्र लाभार्थियों को छात्रवृत्ति का भुगतान:*** पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए झारखण्ड सरकार के दिशा-निर्देश (फरवरी 2018) के अनुसार, वे आवेदक छात्रवृत्ति के लिए पात्र हैं जिनके माता-पिता या अभिभावक की सभी स्रोतों से वार्षिक आय भारत सरकार द्वारा निर्धारित आय सीमा से अधिक नहीं है। इसके अलावा**,** आदिवासी कल्याण आयुक्त**,** झारखण्ड सरकार द्वारा पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए पि.व. श्रेणी के योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करने के संबंध में जारी अधिसूचना (जुलाई 2018) में निर्धारित किया गया है कि छात्रवृत्ति आवेदन करने के लिए केवल वही उम्मीदवार पात्र थे जिनके माता-पिता/अभिभावकों के सभी स्रोतों से वार्षिक पारिवारिक आय ₹ 1.00 लाख से अधिक नहीं है। दिशा-निर्देश (फरवरी 2018) के अनुसार, संस्थान छात्रवृत्ति के लिए सिफारिश करने से पहले संस्थानों में उपलब्ध दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन आवेदनों की प्रविष्टियों को सत्यापित करने के लिए जिम्मेदार हैं। इसके अलावा, जि.क.अ. छात्रवृत्ति की स्वीकृति से पहले वेबसाइट "***jharsewa.jharkhand.gov.in"*** से अपलोड किए गए दस्तावेजों (आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और आवासीय प्रमाण पत्र) के सत्यापन के लिए भी जिम्मेदार है।

2017-18 से 2020-21 की अवधि के लिए ई-कल्याण डेटाबेस के विश्लेषण से पता चला कि राज्य में पि.व. श्रेणी के छात्रों को इस तथ्य के बावजूद कि डेटाबेस में दर्ज आंकड़े में वार्षिक पारिवारिक आय ₹ 1.00 लाख की निर्धारित सीमा से अधिक थे, उन्हे ₹ 36.33 लाख की छात्रवृत्ति 2018-19 के दौरान प्रदान की गई, हालाँकि एप्लिकेशन सॉफ़्टवेयर ने आवेदक को छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने से प्रतिबंधित नहीं किया जबकि उनकी पारिवारिक आय निर्धारित सीमा से अधिक थी जैसा कि **कंडिका 3.8.2** में वर्णित है।

यह इस तथ्य के कारण है कि 'ई-कल्याण' एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर में छात्रवृत्ति नियमों को ठीक से मैप नहीं किया गया था और निर्धारित सीमा से अधिक वार्षिक

पारिवारिक आय वाले पि.व. उम्मीदवारों के ऐसे आवेदनों को स्वीकृत करने से रोकने के लिए प्रभावी नियंत्रण के साथ प्रणाली तैयार नहीं की गई थी।

इसके अलावा संस्थान/जि.क.अ., छात्रवृत्ति की सिफारिश/अनुमोदन करने से पहले उम्मीदवारों की पात्रता मानदंड के सत्यापन के लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन वे दिशा-निर्देशों में निर्धारित अपनी जिम्मेदारियों का पालन करने में विफल रहे। परिणामस्वरूप, अपात्र लाभार्थियों को छात्रवृत्ति का वितरण किया गया।

क्षेत्र निरीक्षण के दौरान छ: नमूना जाँच किए गए जिलों में लेखापरीक्षा ने नमूना जाँच में पाया कि संस्थानों में पि.व. श्रेणी के अपात्र लाभार्थियों को छात्रवृत्ति का भुगतान किया गया, जैसा कि **कंडिका 3.7.2** में वर्णित है। एक संस्थान के प्रमुख (राम नारायण मेमोरियल महाविद्यालय, हंटरगंज, चतरा) ने उत्तर दिया कि उम्मीदवार की अतिरिक्त पारिवारिक आय के तथ्य की अनदेखी उनसे हुई है और कहा कि वे भविष्य में सावधान रहेंगे और दिशा-निर्देशों का पालन करेंगे।

- ***कम प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले लाभार्थियों को छात्रवृत्ति का भुगतान:*** पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के दिशा-निर्देशों के अनुसार, पिछली परीक्षा में पि.व. श्रेणी के अंकों के लिए न्यूनतम 45 प्रतिशत और अ.जा. और अ.ज.जा. श्रेणियों के लिए न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्र ही पात्र हैं। एप्लीकेशन के ई-कल्याण डेटाबेस में उम्मीदवार द्वारा उत्तीर्ण पिछली परीक्षा से संबंधित विवरण जैसे कुल अंक, प्राप्त अंक और प्रतिशत अंक प्राप्त करने की सुविधा है।

2017-18 से 2020-21 की अवधि के लिए ई-कल्याण डेटाबेस के विश्लेषण से पता चला कि पोस्ट मैट्रिक संस्थानों (राज्य के भीतर और बाहर) में पोस्ट मैट्रिक पाठ्यक्रम करने वाले पि.व. श्रेणी के छात्रों को अंतिम उत्तीर्ण परीक्षा में छात्रों द्वारा प्राप्त अंक 45 प्रतिशत के निर्धारित अंकों से कम होने के बावजूद ई-कल्याण पोर्टल के माध्यम से छात्रवृत्ति प्रदान की गई थी, जैसा कि **कंडिका 3.8.2** में वर्णित है।

इसी तरह, पोस्ट मैट्रिक संस्थानों (राज्य के भीतर और बाहर) में पोस्ट मैट्रिक पाठ्यक्रम करने वाले अ.ज./ अ.ज.जा. वर्ग के छात्रों को इस तथ्य के बावजूद कि पिछली परीक्षा में प्राप्त अंकों का प्रतिशत निर्धारित 40 से कम था, ई-कल्याण पोर्टल के माध्यम से 2017-20 के दौरान छात्रवृत्ति से सम्मानित किया गया था, जैसा कि **कंडिका 3.8.2** में वर्णित है।

एप्लिकेशन सॉफ़्टवेयर ने आवेदकों को छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने से प्रतिबंधित नहीं किया, हालाँकि उनके द्वारा प्राप्त अंतिम परीक्षा में अंक निर्धारित से कम थे। यह इस तथ्य के कारण है कि छात्रवृत्ति नियमों को 'ई-कल्याण' एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में उचित रूप से मैप नहीं किया गया था और पि.व./अ.जा./अ.ज.जा. उम्मीदवारों, जिनके अंक कम प्राप्त हुए थे के ऐसे आवेदनों को मंजूरी देने से रोकने के लिए प्रभावी नियंत्रण के साथ प्रणाली को डिजाइन नहीं किया गया था।

- ***प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत अपात्र लाभार्थियों को छात्रवृत्ति का भुगतान:*** प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति के दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार छात्रवृत्ति की मंजूरी के लिए उन छात्रों के नामों पर विचार किया जाना है जिन्होंने संतोषजनक ढंग से अध्ययन पूरा किया है और निर्धारित न्यूनतम उपस्थिति के साथ उच्च कक्षा में पदोन्नत किया है। स्कूलों द्वारा पात्र छात्रों की सूची तैयार की जानी है और इसे जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से आई.टी.डी.ए./जि.क.अ. को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। ऐसा आश्वासन स्कूल के प्रधानाध्यापक/ प्रधानाचार्य द्वारा प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है कि "सभी योग्य छात्रों के नाम शामिल किए गए हैं और किसी भी अपात्र छात्र का नाम सूची में शामिल नहीं है"। इसके अलावा, सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस के अनुसार, जि.क.अ., जिला स्वीकृति और निगरानी समिति से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद एक्सेल प्रारूप में छात्रों की सूची अपलोड करने के लिए जिम्मेदार है।

2017-20 की अवधि के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लिए ई-कल्याण डेटाबेस के विश्लेषण से पता चला कि ऐसे छात्रों (एक ही स्कूल/ अलग स्कूल में एक ही कक्षा में पुनरावर्तक छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की गई) को लगातार दो वर्षों में एक ही कक्षा के लिए अनियमित रूप से छात्रवृत्ति प्रदान की गई, जैसा कि **अनुच्छेद 3.8.5** में वर्णित है।

सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस- 'ई-कल्याण' झारखण्ड के प्रावधानों के अनुसार, संबंधित सहायक, लाभार्थियों की सूची के ऑनलाइन सत्यापन के लिए जिम्मेदार है और आवेदन को अस्वीकार करने, स्वीकार करने या लंबित स्थिति में रखने की स्वीकृति देता है। इसके अलावा, जि.क.अ. अनुमोदित, लंबित और अस्वीकृति मामलों के लिए लाभार्थी सूची के ऑनलाइन सत्यापन के लिए जिम्मेदार है। अपात्र छात्रों के प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति आवेदनों का अनुमोदन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में व्यवसाय नियमों की अनुचित मैपिंग के कारण हुआ था।

6.12.4 भुगतान नियंत्रण विफलता

ई-कल्याण में आधार संख्या के मिलान किये बिना गैर-आवेदकों को भुगतान: आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम (ए.पी.बी.एस.) मुख्य रूप से सरकारी विभागों को लाभार्थियों के वित्तीय पते के रूप में आधार संख्या का उपयोग करके प्रत्यक्ष लाभ अंतरण की सुविधा प्रदान करते हुए बल्क इलेक्ट्रॉनिक भुगतान निर्देशों के एंड-टू-एंड प्रोसेसिंग की सुविधा प्रदान करता है। लाभार्थी के बैंक की संस्था पहचान संख्या (आईआईएन)[57] से आधार संख्या की मैपिंग के आधार पर लाभार्थी के खाते में लाभ का वितरण किया जा सकता है। यूआईडीएआई का यह भी दावा है कि आधार को योजना से जोड़ने से

[57] आईआईएन एनपीसीआई द्वारा प्रत्येक एपीबी सिस्टम में भाग लेने वाले बैंक को जारी किया गया एक अद्वितीय छः अंकों की संख्या है और इसका उपयोग उस बैंक की विशिष्ट पहचान के लिए किया जाता है जिसमें एपीबी लेनदेन को एपीबी सिस्टम में रूट किया जाना है।

यह सुनिश्चित होता है कि कोई भी व्यक्ति दूसरों का रूप धारण करके लाभ का दावा नहीं कर सकता है।

भुगतान में तेजी लाने और वित्तीय समावेशन को बढ़ाकर लोगों को लाभों का बेहतर और समय पर वितरण सुनिश्चित करने के लिए डी.बी.टी. लागू किया गया है। जब भुगतान फ़ाइल सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) द्वारा भुगतान को संसाधित करने के लिए प्राधिकरण के साथ प्राप्त होती है, तो प्रायोजक बैंक को भुगतान प्रक्रिया (सफलता/विफलता) के बाद प्रतिक्रिया फ़ाइल को भुगतान फ़ाइल के प्रवर्तक को अधिकतम अनुमेय समय, लेन-देन के दिन को छोड़कर, चार दिन के साथ जमा करना आवश्यक है।

लेखापरीक्षा ने वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए ई-कल्याण डेटाबेस के साथ पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं के संबंध में नमूना-जाँच किए गए छः जिलों[58] में से तीन[59] की बैंक प्रतिक्रिया फाइलों की प्रति जाँच की और निम्नलिखित पाया:

- ***झूठे लाभार्थियों को छात्रवृत्ति वितरित की गई:*** दिशा-निर्देशों के अनुसार, छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करते समय छात्र को आधार संख्या और अपने बैंक खाते का विवरण देना आवश्यक है। आवेदक के अलावा अन्य व्यक्ति के बैंक विवरण प्रस्तुत करने पर, आवेदन रद्द किया जा सकता है। आवेदक अपने बैंक खाते को आधार से जोड़ने और यह सुनिश्चित करने के लिए भी जिम्मेदार है कि उनका बैंक खाता एनपीसीआई के साथ मैप किया गया है। इसके अलावा, जि.क.अ. इस बात की जाँच करने के लिए जिम्मेदार है कि सभी आवेदकों के बैंक खातों को आधार संख्या के साथ उनके नाम से जोड़ा गया है और एनपीसीआई के साथ विधिवत मैप किया गया है। दिशा-निर्देश यह भी निर्धारित करते हैं कि "जि.क.अ. पीएफएमएस पर आधार आधारित डी.बी.टी. चैनल के माध्यम से पात्र छात्रों के बचत बैंक खातों में स्वीकृत राशि को ई-ट्रांसफर करेगा।"

लेखापरीक्षा ने 2017-20 की अवधि के लिए तीन नमूना-जाँच किए गए जिलों (चतरा, पलामू और राँची) में एक ही आधार-संख्या को आधार बनाकर ई-कल्याण डेटाबेस के आवेदकों के विवरण और बैंक प्रतिक्रिया फाइलों के अनुसार लाभार्थियों के विवरण का जाँच किया और देखा कि 2,126 मामलों में ई-कल्याण डेटाबेस के अनुसार आवेदक का नाम और बैंक खाता संख्या, बैंक प्रतिक्रिया फ़ाइल के अनुसार लाभार्थी के नाम और बैंक खाता संख्या के साथ मेल नहीं खाता था। परिणामस्वरूप ₹ 2.79 करोड़ की छात्रवृत्ति आवेदकों के स्थान पर अन्य व्यक्ति को वितरित कर दी गई।

---

[58] दो नमूना जाँच किए गए जिले अर्थात गोड्डा और हजारीबाग ने मांगे जाने के बाद भी बैंक प्रतिक्रिया फाइलें उपलब्ध नहीं कराईं जबकि पूर्वी सिंहभूम द्वारा प्रदान की गई प्रतिक्रिया फाइल अधूरी थी, इसलिए इसे विश्लेषण के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सका।

[59] चतरा, पलामू और राँची जिले

केस स्टडी-3

पलामू जिले में, लेखापरीक्षा ने देखा कि दो आवेदकों (2019-20 में एकता कुमारी और 2020-21 में मोनिका मिंज) ने एक ही यूआईडी (XXXXXXXX4876) का उपयोग करके 'ई-कल्याण' पोर्टल पर छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया था। लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि जि.क.अ. द्वारा आवेदनों के अंतिम अनुमोदन के बाद भुगतान बैंक खाते (धारक का नाम: पुरुषोत्तम पंडित) में जमा किया गया था, जिसकी पुष्टि बैंकों द्वारा तैयार की गई बैंक प्रतिक्रिया फ़ाइल से की गई, जो कि 'ई-कल्याण' पर अपलोड की गई थी। एक अन्य मामले में 2020-21 के दौरान मंजू बेक द्वारा भरे गए आवेदन के लिए छात्रवृत्ति का भुगतान यूआईडी (XXXXXXXX5520) का उपयोग कर बैंक खाते (धारक का नाम: सुरेंद्र कुमार यादव) में जमा किया गया था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आवेदन सॉफ्टवेयर में यूआईडीएआई झारखण्ड सर्वर के साथ आवेदकों द्वारा प्रस्तुत यूआईडी के सत्यापन नियंत्रण का अभाव है। हालाँकि, 'ई-कल्याण' डेटाबेस में रिमोट आधार सीडिंग फ्रेमवर्क (आरएएसएफ) सत्यापन, बैंक खाता संख्या पुष्टिकरण और एनपीसीआई सत्यापन के संबंध में स्थिति और तारीख दर्ज करने का प्रावधान है, लेकिन 2017-20 के दौरान डेटाबेस में इन क्षेत्रों के खिलाफ कोई डेटा दर्ज नहीं पाया गया था। इसलिए फर्जी लाभार्थियों को छात्रवृत्ति का वितरण हुआ।

- ***एक ही आधार संख्या के माध्यम से कई लाभार्थियों को छात्रवृत्ति का भुगतान:*** ई-कल्याण का सॉफ्टवेयर रिक्वायर्मेंट स्पेकिफिकेशन, रिमोट आधार सीडिंग फ्रेमवर्क (आरएएसएफ) का सत्यापन मॉड्यूल प्रदान करता है, जो यूआईडीएआई झारखण्ड डेटाबेस में यूआईडी नंबर के साथ 'ई-कल्याण' सर्वर में प्रदान किए गए छात्र के नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि और तस्वीर से मेल करेगा। इसके अलावा, छात्रवृत्ति दिशा-निर्देशों के अनुसार, जि.क.अ. इस बात की जाँच करने के लिए जिम्मेदार है कि सभी आवेदकों के बैंक खातों को आधार संख्या के साथ उनके नाम से जोड़ दिया गया है और एनपीसीआई के साथ विधिवत मैप किया गया है। नमूना जाँच किए गए तीन जिलों (चतरा, पलामू और राँची) की 2017-20 की अवधि के लिए बैंक प्रतिक्रिया फाइलों के विश्लेषण में पाया गया कि 188 मामलों में अलग-अलग शैक्षणिक वर्षों में एक ही आधार संख्या का उपयोग करके दो अलग-अलग लाभार्थियों को ₹ 28.07 लाख की छात्रवृत्ति वितरित की गई थी ***(परिशिष्ट-6.5)***। यह इस तथ्य के कारण है कि 'ई-कल्याण' सॉफ्टवेयर का आरएएसएफ मॉड्यूल काम नहीं कर रहा था और यूआईडीएआई झारखण्ड डेटाबेस से छात्र के विवरण को मान्य नहीं किया गया था। इसके अलावा, जि.क.अ. यह सुनिश्चित करने में भी विफल रहे कि सभी आवेदकों के बैंक खातों को उनकी आधार संख्या से जोड़ा गया था और एनपीसीआई के साथ विधिवत मैप किया गया था। परिणामस्वरूप, डी.बी.टी. योजना के तहत लाभार्थियों के वित्तीय पते की विशिष्टता सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

अनुशंसाएँ:

1. *परिकल्पित सुविधाओं को आवेदन में शामिल किया जाना चाहिए।*
2. *एप्लीकेशन को आधार ई-केवाईसी के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए और आरआरआर परियोजना के तहत कार्य के दायरे के अनुसार कोषागार/बैंक से जुड़ा होना चाहिए।*
3. *ई-कल्याण पोर्टल के माध्यम से छात्रवृत्ति का संवितरण या तो एन.ई.एस.पी. पोर्टल पर स्थानांतरण किया जाना चाहिए या सेवा प्रदाता पर निर्भरता कम करने के लिए जेएपी-आईटी द्वारा विकसित की जाने वाली वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए।*

6.13 प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण

स्वीकृत परियोजना प्रस्ताव के अनुसार, एक औपचारिक प्रशिक्षण संरचना विकसित करने की आवश्यकता थी जिसमें कक्षा शैली प्रशिक्षण, मैनुअल और ऑनलाइन सहायता के माध्यम से स्वतंत्र एंड-यूज़र प्रशिक्षण शामिल था। अनुकूलन चरण के दौरान राज्य की प्रशिक्षण आवश्यकता को भी प्रलेखित और सहमति दी जानी थी। उपयोगकर्ता नियमावली, सिस्टम प्रशासन नियमावली और समस्या निवारण नियमावली को नए परिवर्तनों या नई सेवाओं को जोड़ने के मामले में तैयार और अद्यतन करने की आवश्यकता थी।

कल्याण विभाग और डी.ओ.आई.टी., झारखण्ड के अभिलेखों की जाँच से पता चला कि ई-कल्याण संस्करण 2.0 (ई-पास) पर कल्याण विभाग के सभी अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण शुरू होने के बाद केवल एक बार आयोजित किया गया था (जनवरी 2015) और एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर में कई बदलाव किए जाने के बावजूद आगे कोई प्रशिक्षण या तो कल्याण विभाग द्वारा या संस्था द्वारा आयोजित नहीं किया गया था। इसके अलावा, स्वीकृत परियोजना प्रस्ताव के प्रावधान के विरुद्ध विभिन्न स्तर के उपयोगकर्ताओं के लिए कोई उपयोगकर्ता पुस्तिका प्रलेखित और अद्यतन नहीं की गई थी। साथ ही अंतिम उपयोगकर्ता को ऑनलाइन सहायता भी पोर्टल पर उपलब्ध नहीं कराई गई थी।

एक हितधारक होने के नाते संस्थान के प्रमुख (गोस्सनर महाविद्यालय, राँची) ने बताया (सितंबर 2022) कि पोर्टल का उपयोग करने से पहले न तो प्रशिक्षण दिया गया और न ही दिशा-निर्देशों के अनुसार गतिविधियों को करने के लिए ऑनलाइन सहायता प्रदान की गई। प्रशिक्षण आवश्यकता विश्लेषण और उचित प्रशिक्षण के अभाव ने ई-कल्याण के विभिन्न हितधारकों के कामकाज पर प्रतिकूल प्रभाव डाला, जिसके परिणामस्वरूप हितधारकों द्वारा कई अनियमितताएं की गईं जैसा कि **कंडिका 6.12.2, 6.12.3 और 6.12.4** में दर्शाया गया है।

अनुशंसा:

एप्लिकेशन के हितधारकों को एप्लिकेशन के इष्टतम उपयोग के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए।

6.14 निगरानी

परियोजना कार्यान्वयन/संचालन समिति, कल्याण विभाग के कम्प्यूटरीकरण और झारखण्ड में 'ई-पास' आवेदन की आरआरआर परियोजना के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है। जून 2015 में आयोजित समिति की बैठक के कार्यवृत्त, कल्याण विभाग के अभिलेखों में पाए गए और उसके बाद 2016-21 के दौरान समिति द्वारा जारी की गई सिफारिशें/निर्देश, यदि कोई हैं, विभाग के पास उपलब्ध नहीं थे। इस प्रकार, स्वीकृत परियोजना प्रस्ताव के अनुसार नियोजित कार्य अभी भी पूर्ण नहीं हुए थे (मई 2021)।

इसके अलावा, स्थानीय स्तर पर परियोजना के प्रबंधन और प्रशासन के लिए पीएमयू की सेवाएँ, परियोजना की निगरानी और मूल्यांकन एवं प्रतिवेदन को वित्तीय संकट का हवाला देते हुए 1 नवंबर 2017 से बंद कर दिया गया था। इससे परियोजना की निगरानी और मूल्यांकन में बाधा उत्पन्न हुई।

मामला राज्य सरकार को भेजा गया है (अक्टूबर 2022), हालाँकि उत्तर प्रतीक्षित है।

राँची **(अनूप फ्रांसिस डुंगडुंग)**
दिनांक: 23 जून 2023 **महालेखाकार (लेखापरीक्षा) झारखण्ड**

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली **(गिरीश चंद्र मुर्मू)**
दिनांक: 27 जून 2023 **(भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक)**